

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड, देहरादून- 248001

Email id-ceo_uttaranchal@eci.gov.in फ़ैक्स न० (0135) -2713724 फ़ोन न०(0135) - 2713551

संख्या 1623/xxv-12(P-14)/2021 देहरादून : दिनांक 22 मार्च, 2024

सेवा में,

श्री कृष्ण गोपाल,
व्याख्याता
राजकीय पॉलिटैक्निक
कॉलेज, अजमेर (राजस्थान)305002

पंजीकृत

विषय- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपका अनुरोध पत्र संख्या-08 दिनांक 03 मार्च, 2024 जो इस कार्यालय में दिनांक 16.03.2024 को प्राप्त हुआ है। जिसमें सूचना के अधिकार में मांगी गयी वांछित बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है-

बिन्दु संख्या-	सूचना का विवरण
बिन्दु-1	1 से 2 पेज में
बिन्दु-2, 3	कार्यालय पत्र संख्या 1594 दिनांक 21 मार्च, 2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी/समस्त सहायक निर्वाचन अधिकारी को हस्तान्तरित की गई है।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि आप असंतुष्ट हो तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

संलग्न-यथोपरि।

अपीलीय अधिकारी का पता
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड,
देहरादून-248001
मो0न0-9897995591

भवदीय,

B. Sawant
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
मो0न0-9411740189

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड, देहरादून- 248001

Email id-ceo_uttaranchal@eci.gov.in फ़ैक्स न० (0135) -2713724 फ़ोन न०(0135) - 2713551

संख्या | 706/xxv-12(P-14)/2021 देहरादून : दिनांक 26 मार्च, 2024

सेवा में,

श्री कृष्ण गोपाल,
व्याख्याता
राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज
अजमेर (राजस्थान) 305002

पंजीकृत

विषय- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपका अनुरोध पत्र संख्या-09 दिनांक 03 मार्च, 2024 जो इस कार्यालय में दिनांक 18.03.2024 को प्राप्त हुआ है। जिसमें सूचना के अधिकार में मांगी गयी वांछित बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है-

बिन्दु संख्या-	सूचना का विवरण
बिन्दु-1	1 से 2 पेज में
बिन्दु-2, 3	कार्यालय पत्र संख्या 1703 दिनांक 26 मार्च, 2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी/समस्त सहायक निर्वाचन अधिकारी को हस्तान्तरित की गई है।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि आप असंतुष्ट हो तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

संलग्न-यथोपरि।

अपीलीय अधिकारी का पता

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड,
देहरादून-248001
मो0न0-9897995591

भवदीय,


(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
मो0न0-9411740189

①

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड, देहरादून- 248001

Email id- election09@gmail.com

फोन न० (0135) - 2713760, 2713551

फैक्स न० (0135) -2713724.

संख्या- 130 /xxv-11/2020 देहरादून : दिनांक 25 जनवरी, 2023

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी एवं,
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय- Misuse of religious institutions for political purposes-regarding.

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-3/1/2022/SDR/
Vol.I दिनांक 19 जनवरी 2022 के साथ पत्र संख्या- 27 जुलाई 2012 एवं संलग्न विधि
और न्याय मंत्रालय(विधायी विभाग) की अधिसूचना संख्या-57 दिनांक 02.09.1988 (प्रति
संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों के
मार्गनिर्देशन के लिए आदर्श आचार संहिता के विद्यमान प्रावधान, पूजा स्थलों के किसी भी
प्रकार के निर्वाचन प्रसार के लिए मंच हेतु प्रयोग तथा किसी राजनैतिक दल के लाभ या
किसी राजनैतिक विचार अथवा राजनैतिक गतिविधि के लिए धार्मिक संस्थाओं या धार्मिक
संस्थाओं की निधि का प्रयोग निषिद्ध किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः भारत निर्वाचन आयोग के उक्त पत्रों/अधिसूचना की प्रति संलग्न करते
हुए अनुरोध है कि कृपया आयोग के उक्त सन्दर्भित पत्रों में दिये गये निर्देशों को यथा
समय समस्त रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग आफिसरों को उपलब्ध करने के साथ-साथ
समस्त राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय दलों एवं समस्त पंजीकृत अमान्याप्राप्त राजनैतिक दलों के
जिलास्तरीय अध्यक्षों/सचिवों को आयोग के उक्त पत्र की प्रति आयोग के निर्देशों के
पालन हेतु उपलब्ध का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(प्रताप सिंह शाह)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

उत्तराखण्ड।

②

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड, देहरादून- 248001

Email id- election09@gmail.com

फोन नं (0135) - 2713760, 2713551

फैक्स नं (0135) -2713724.

संख्या- 129 /XXV-11/2020 देहरादून : दिनांक 25 जनवरी, 2023

सेवा में,

1-अध्यक्ष/सचिव

समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य
स्तरीय राजनैतिक दल, उत्तराखण्ड।

2-अध्यक्ष/सचिव

समस्त पंजीकृत अमान्यता प्राप्त
राजनैतिक दल, उत्तराखण्ड।

विषय- Misuse of religious institutions for political purposes-regarding.

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-3/1/2022/SDR/
Vol.I दिनांक 19 जनवरी 2022 के साथ पत्र संख्या- 27 जुलाई 2012 एवं संलग्न विधि
और न्याय मंत्रालय(विधायी विभाग) की अधिसूचना संख्या-57 दिनांक 02.09.1988 (प्रति
संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों के
मार्गनिर्देशन के लिए आदर्श आचार संहिता के विद्यमान प्रावधान, पूजा स्थलों के किसी भी
प्रकार के निर्वाचन प्रसार के लिए मंच हेतु प्रयोग तथा किसी राजनैतिक दल के लाभ या
किसी राजनैतिक विचार अथवा राजनैतिक गतिविधि के लिए धार्मिक संस्थाओं या धार्मिक
संस्थाओं की निधि का प्रयोग निषिद्ध किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः भारत निर्वाचन आयोग के उक्त पत्रों/अधिसूचना की प्रति संलग्न करते
हुए अनुरोध है कि कृपया आयोग के उक्त सन्दर्भित पत्रों में दिये गये निर्देशों के अक्षरशः
अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(प्रताप सिंह शाह)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

उत्तराखण्ड।